रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02042024-253518
CG-MH-E-02042024-253518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2024/चैत्र 13, 1946
No. 225]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2024/CHAITRA 13, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 2 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 239(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. प्रारंभिक गठन-ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण कर रहे हैं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा संबंधित श्रेणियों में की गई उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परीवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	901*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद	स्तर-4 (25500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(6)	(7)
18 और 27 वर्ष के बीच **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के	आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि वांछनीय: 1. अंग्रेजी में टंकण में प्रति मिनट तीस शब्द की न्यूनतम गति, परंतु निर्योग्य व्यक्ति जो अन्यथा लिपिक पद धारण करने के लिए अर्हित है, किंतु टंकण में उक्त अर्हता नहीं रखता है, उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकता है कि विशेष निर्योग्यता से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा कोई बोर्ड

पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	नहीं है, वहां सिविल सर्जन प्रमाणित करता है कि उक्त निर्योग्य व्यक्ति टाइप करने की सक्षम स्थिति में नहीं है। 2. कंप्यूटर का ज्ञान (एम एस ऑफिस)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा और विभिन्न पध्दतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
आयु – नहीं। अर्हता – हाँ	एक वर्ष।	i. प्रोन्नति द्वारा पांच प्रतिशत पदों की भर्ती की जाएगी। ii. सीधी भर्ती से पंचानवे प्रतिशत पदों की भर्ती की जाएगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
विभागीय अर्हक परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की है। सीधी भर्ती द्वारा : पात्र अभ्यर्थियों का चयन विभाग या किसी भर्ती अभिकरण द्वारा आयोजित लिखित या वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से होगा। **टिप्पण 1 -** प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की गणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2 –** विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से चयन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित लिखित या वस्तुनिष्ठ परीक्षा सम्मिलित है। **टिप्पण 3 -** प्रोन्नत और सीधी भर्ती के व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से	क) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए- 1. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) - अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; संघटक इकाइयों के लिए- 1. संबंधित इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; 3. अन्य संघटक इकाई से प्रशासन काडर समूह 'क' अधिकारी – सदस्य;	लागू नहीं होता।

प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। **टिप्पण 4 -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	ख) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय के लिए- 1. उप सचिव या निदेशक (प्रशासन) -अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (प्रशासन) – सदस्य; 3. उप लेखा नियंत्रक –सदस्य; संघटक इकाइयों के लिए- 1. संबंधित इकाई के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष; 2. संबंधित इकाई के उप लेखा नियंत्रक – सदस्य; 3. अन्य संघटक इकाई से प्रशासन काडर समूह 'क' अधिकारी – सदस्य;	

[फा. सं. 19/2/2023-CCS/4933]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd April, 2024

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.-The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc -The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Initial constitution-The incumbents holding the posts of Upper Division Clerk immediately before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective grades shall be counted for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Upper Division Clerk.	901*(2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial post.	Level-4 (Rs.25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(6)	(7)
Between 18 years and 27 years. **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territories of Ladakh, Lahaul and Spiti Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	Essential: Bachelor’s degree from a recognized University. Desirable: 1. Minimum speed of thirty words per minute in typewriting in English provided that a person with disability who is otherwise qualified to hold a clerical post, but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special disability or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said person with disability is not in a fit condition to be able to type. 2. Knowledge of Computer (MS Office).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absoption and percentage of the vacancies to be filled in by various methods**
(8)	(9)	(10)
Age-No. Qualification – Yes.	One year.	i. five per cent. of the posts to be filled by promotion; and ii. ninety five per cent. of the posts to be filled by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee (for considering promotion) exists what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(11)	(12)	(13)
Promotion through departmental qualifying examination: Lower Division Clerk in Level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with two years of regular service in the grade. By direct recruitment: Selection of eligible candidates shall involve written or objective test conducted by the Department or any other recruitment agency. **Note 1.-** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2.-** Selection through departmental qualifying examination involves written or objective test conducted by the Department of Atomic Energy. **Note 3.-** Promotees and direct recruits shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 4.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	A. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: For Department of Atomic Energy Secretariat- 1. Deputy Secretary or Director (Administration) –Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) – Member; 3. Deputy Controller of Accounts -Member. For constituent units- 1. Chief Administrative Officer of the concerned unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned unit- Member; 3. Group 'A' Officer (Administration or Accounts cadre) from another constituent unit - Member. B. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: For Department of Atomic Energy Secretariat- 1. Deputy Secretary or Director (Administration) –Chairperson; 2. Under Secretary (Administration) – Member; 3. Deputy Controller of Accounts - Member. For constituent units- 1. Chief Administrative Officer of the concerned unit – Chairperson; 2. Deputy Controller of Accounts of the concerned unit- Member; 3. Group 'A' Officer (Administration or Accounts cadre) from another constituent unit- Member.	Not applicable.

[F. No. 19/2/2023-CCS/4933]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.02 22:06:16 +05'30'